UPBG010024442023

Sessions Case/360/2023

Presented on : 15-05-2023
Registered on : 15-05-2023
Decided on : 06-03-2026

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या–01, बागपत।

उपस्थितः नीरू शर्मा (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे०ओ०कोड–यू०पी० 2718

1. उत्तर प्रदेश राज्य

.............अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. अजीत सिंह पुत्र सोहनपाल सिंह
2. अमित पुत्र सोहनपाल सिंह

निवासीगण ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली, जिला बागपत।

.................अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०–73/2020
धारा–498A, 506, 376, 511
भा०दं०सं०
थाना–महिला थाना बागपत,
जनपद–बागपत।

निर्णय

1. अभियुक्तगण **अजीत** तथा **अमित** के विरूद्ध उपरोक्त सत्र परीक्षण मु०अ०सं०–73/2020, धारा–498A, 506, 376, 511 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में पुलिस थाना महिला थाना बागपत, जिला बागपत द्वारा प्रेषित आरोप पत्र पर विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा संज्ञान लिये जाने के पश्चात सत्र सुपुर्द किये जाने के उपरान्त चला हैं।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा द्वारा दिनांक 27–08–2020 को महिला थाना बागपत पर इस आशय की तहरीर प्रदर्श क–01 दी गयी कि "प्रार्थिनी पत्नी श्री अजीत सिंह, ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत की शादी उपरोक्त अजीत सिंह पुत्र श्री सोमपाल से करीब 11 साल पहले हुई थी, तभी से मुझ प्रार्थिनी के पति अजित के नाजायज सम्बन्ध मेरी जेठानी दीपा पत्नी अमित से हैं। इस बात का पता मेरे जेठ अमित को भी है इसलिए अमित ने 27 मई, 2020 को समय करीब 1 बजे दोपहर को मैं प्रार्थिनी ऊपर लेटी हुई थी, और सभी परिवार वाले नीचे लेटे

Digitally signed by NEERU SHARMA
Date: 2026.03.09 10:11:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हुए थे, उक्त अमित मेरे पास जाकर बोला कि मेरी पत्नी को तो अजीत रखता है, तुम मेरे से नाजायज सम्बन्ध बना लो, यह कहकर मुझे अपनी कोली में दाब लिया और मेरे गुप्तांगों में ऊंगली डाल दी तथा नाजुक अंगों को भींचने लगा, तथा मेरे कपडे फाड दिये व मेरे साथ बल्तकार करने का प्रयास किया। तभी मैंने शोर मचा दिया। मेरी आवाज सुनकर नीचे से मेरा पति भी आ गया। मैंने उसे आपबीती सुनाई तो कहने लगा कि इसमें क्या हर्ज है, अगर आपको यहां रहना है तो आपको अमित के साथ ही सोना पडेगा। मैंने कहा कि मैं इज्ज़तदार नारी हूं, ऐसा नहीं कर सकती हूं। तो मेरे पति उक्त ने कहा कि तुम अपने घर चली जाओ, यहां रहोगी तो अमित के साथ ही रहना पडेगा। मैंने उक्त सारा वाकया अपने परिवारवालों को बताया परन्तु किसी ने मेरी नहीं सुनी। इस सम्बन्ध में मैंने थाना बिनौली में भी उक्त घटना बताई, परन्तु कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। मेरा थाना बिनौली की पुलिस से व ससुराल के पूरे परिवार से विश्वास उठ चुका है। अब मैं अपने घर बडौत में रह रही हूं और कई बार उक्त अजित, मेरे भाई को भी जान से मारने की धमकी फोन पर दे चुका है।"

3. उपरोक्त तहरीर प्रदर्श क–01 के आधार पर थाना हाजा पर अभियुक्तगण अजीत व अमित के विरूद्ध धारा 498A, 507, 354ख, 376/511 भा०दं०सं० के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–03 दर्ज की गयी। विवेचना प्रारम्भ की गयी।

4. दौरान विवेचना पीडिता के मजीद बयान, बयान अं०धारा–161, 164 दं०प्र०सं०, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल व अन्य साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 354ख भा०दं०सं० का अपराध नहीं पाया गया जिस कारण प्रस्तुत प्रकरण में धारा 354ख भा०दं०सं० का विलोप किया गया तथा विवेचना उपरान्त अभियुक्त अजीत के विरूद्ध अं०धारा–498A, 506 भा०दं०सं० में तथा अभियुक्त अमित के विरूद्ध अं०धारा–498A, 506, 376/511 भा०दं०सं० में आरोप पत्र प्रदर्श क–6 विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. आरोप पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा उपरोक्त मामला सत्र परीक्षणीय होने के कारण, अपराध का संज्ञान लेने के उपरान्त, सत्र सुपुर्द किया गया।

6. तत्कालीन विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–01, बागपत द्वारा उपरोक्त मुकदमे में दिनाँक 31–05–2023 को अभियुक्त अजीत के विरूद्ध अं०धारा–498A, 506 भा०दं०सं० में तथा अभियुक्त अमित के विरूद्ध अं०धारा–498A, 506, 376/511 भा०दं०सं० में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने विरचित आरोपों से इन्कार किया और विचारण की माँग की।

7. अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये उपरोक्त आरोपों के परिप्रेक्ष्य में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्ल्यू०–01 वादिनी मुकदमा/पीडिता, पी०डब्लू०–02 अनीता, पी०डब्लू०–03 सुनीता उर्फ बबली, पी०डब्लू०–04 रिटायर्ड हेड कांस्टेबल बिजेन्द्र कुमार तथा पी०डब्ल्यू०–05 विवेचक एस०आई० बेबी न्यायालय में साक्षीगण के

रूप में परीक्षित कराये गये हैं।

8. अभियोजन की और से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्न प्रपत्र प्रस्तुत किये गये है–

क्रमांक	**अभियोजन प्रपत्रों का विवरण**	**प्रदर्श**	**साबित करने वाला साक्षी**
1.	टाईपशुदा तहरीर	प्रदर्श क–1	पी.डब्लू.–1
2.	बयान पीडिता अं०धारा–164 दं०प्र०सं०	प्रदर्श क–2	पी.डब्लू.–2
3.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–3	पी.डब्लू.–2
4.	जी०डी० मुकदमा कायमी	प्रदर्श क–4	पी.डब्लू.–3
5.	घटनास्थल का नक्शा–नजरी	प्रदर्श क–5	पी.डब्लू.–4
6.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–6	पी.डब्लू.–4

9. उपरोक्त साक्षियों के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगण के बयान अं०धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये। अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान अं०धारा–313 दं०प्र०सं० में कथन किया कि उन पर लगाया गया आरोप गलत है। साक्षियों की साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा तथा कथन किया कि उनके विरूद्ध गलत मुकदमा चला है। पीडिता ने अपने मायके वालो के प्रभाव में आकर गलत मुकदमा दायर किया। अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

10. अभियुक्तगण के बयान अं०धारा–313 दं०प्र०सं० दर्ज होने के उपरान्त न्यायालय द्वारा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष

11. वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त अमित का अपराध अं०धारा–498A, 506, 376/511 भा०दं०सं० तथा अभियुक्त अजीत का अपराध अं०धारा–498A, 506 भा०दं०सं० के लिए विचारण किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप है कि वादिनी मुकदमा/पीडिता की शादी होने के बाद से आप लोगों द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करके उसको मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित किया गया और दिनांक 27–05–2020 को समय करीब 01:00 बजे दोपहर ग्राम जिवाना गुलियान, थाना बिनौली, जिला बागपत में अभियुक्त अमित ने वादिनी/पीडिता को घर में अकेले पाकर बलात्कार करने की कोशिश की तथा आप लोगों द्वारा वादिनी को जान से मारने की धमकी दी गयी।

12. अभियोजन द्वारा उपरोक्त आरोप को सिद्ध करने हेतु 05 अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया है।

साक्षी **<u>पी०डब्लू०-01 वादिनी मुकदमा/पीडिता</u>** द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया गया है कि "मेरी शादी दिनांक 25.06.2009 को अजीत सिंह पुत्र सोहनपाल निवासी ग्राम जिवाना गुलियान के साथ हुई थी। मेरा करीब 14 वर्ष पूर्व घरेलू कार्य को लेकर मेरे साथ मेरी सास व पति से कहासुनी हो गई थी। जिससे नाराज होकर मैने एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र महिला सैल प्रभारी पुलिस क्षेत्राधिकारी जनपद बागपत को दिया था। वह टाईपशुदा प्रार्थना पत्र टाईपकर्ता ने मुझे पढकर नही सुनाया था। मैने उसमे कहासुनी का बात लिखवाई थी। आज प्रार्थना पत्र पढकर मेरी जानकारी मे आया है कि प्रार्थान पत्र मे यह बात कि दिनांक 27.05.2020 को समय करीब दोपहर के 1 बजे प्रार्थिनी ऊपर लेटी हुई थी और सभी परिवारवाले नीचे थे। मेरा जेठ अमित मेरे पास आकर बोला कि मेरी पत्नी को अजीत रखता है तुम मेरे से नाजायज सम्बन्ध बना लो यह कहकर मुझे अपनी कोली मे दबा लिया और गुप्तांगो मे उगली डाल दी और नाजुक अंगो को भीचने लगा तथा मेरे कपडे फाड दिये मेरे साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, गलत लिखी है। न तो मेरे कमरे मे मेरा जेठ अमित 27.05.2020 को एक बजे दिन के नही आया और न ही अमित ने मुझसे ये बोला कि मेरी पत्नी अजीत रखता है और मुझसे नाजायज सम्बन्ध बना लो और न ही अमित ने मेरी कोली भरी और न ही मेरे गुप्तांगो मे उंगली डाली और न ही मेरे नाजुक अंगो को भीचा और न ही मेरे कपडे फाडे और न ही मेरे साथ बलात्कार करने का प्रयास किया उस दिन ऐसी कोई घटना नही हुई थी। मै मात्र कहन सुनन की शिकायत करने महिला सैल मे गई थी। लेकिन टाईपकर्ता ने मेरे हस्ताक्षर करा लिये थे और न ही मेरे पति ने मुझसे यह कहा कि तुझको अमित के साथ सोना पडेगा। पीडिता को उसका 161 सी०आर०पी०सी० का ब्यान पढकर सुनाया गया तो पीडिता ने कहा यह ब्यान मेरा पुलिसवालो ने लिया था। मैंने ऐसा कोई ब्यान नही दिया था। टाईपशुदा प्रार्थना पत्र कागज सं० 4 अ/3 जो पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हू, जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। पीडिता का 164 सी०आर०पी०सी० का ब्यान न्यायालय की अनुमति से खोला गया। पीडिता को उसका 164 का ब्यान दिखाया गया। पीडिता ने कहा कि यह वही ब्यान है जो मैने पुलिसवालो के कहने पर न्यायालय मे दिया था। जिस पर मेरा फोटा लगा है और जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूं, जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया।"

13. **<u>पी०डब्लू०-02 श्रीमती अनीता</u>** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि "पीडिता मेरी बहन सुनीता की लडकी है। उसकी शादी अब से करीब 13 वर्ष पहले अजीत पुत्र सोमपाल के साथ हुई थी। वह अपनी ससुराल मे खुश थी। उसका पति व ससुराल वाले उसको तंग व परेशान नही करते थे। पीडिता ने मुझे नही बताया कि दिनांक 27.05.2020 को उसके जेठ अमित ने उसके साथ नाजायज सम्बन्ध बनाने के लिये कहा और अमित ने उसके साथ गन्दी हरकते की। इस घटना की बाबत मै कभी पीडिता के घर नही गई। अजीत ने पीडिता को अमित के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिये

कभी प्रताडित नही किया। मुझे इतना पता चला था कि पीडिता की अपने पति से घरेलू बातो को लेकर कहा सुनी हुई थी। इसके अतिरिक्त ओर कोई घटना नही हुई न ही पीडिता ने कभी मुझे इस घटना की बाबत कोई फोन किया।"

14. **<u>पी०डब्लू०–03 सुनीता उर्फ बबली</u>** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि "मेरी बेटी पीडिता की शादी अजीत पुत्र सोमपाल के साथ करीब 15 साल पहले हुई थी। शादी के बाद मेरी बेटी का अजीत के साथ अक्सर मन मुटाव हो जाया करता था। मेरी बेटी के साथ उसके जेठ अमित के साथ भी अक्सर घर के काम को लेकर कहा सुनी हो जाया करती थी। दिनांक 27.05.2020 को भी मेरी बेटी के साथ उसके जेठ अमित के साथ घरेलू काम के सम्बन्ध मे कहा सुनी हो गई थी। जिसको लेकर मेरी बेटी का पति अजीत भी उससे नाराज हो गया था। शादी के करीब डेढ साल बाद मेरी बेटी को एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम आदित्य है। मेरी बेटी के ससुरालवालो द्वारा बार बार उसे तंग किये जाने के कारण ही मन मुटाव हो गया था। तंग से मतलब मेरा कहासुनी से है। इस घटना की सूचना मेरी बेटी ने लोगो के बहकावे में आकर एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.07.2020 को श्रीमान महिला सैल प्रभारी /पुलिस उपाधीक्षक महोदय जनपद बागपत को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। जो टाईपशुदा था। उस प्रार्थना पत्र के दिये जाने पर उच्च अधिकारियो के आदेश से दिनांक 27.08.2020 को रिपोर्ट दर्ज होकर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इस घटना की सूचना मुझे मेरी बेटी ने फोन पर दी थी। फोन पर सूचना पाकर मैं भी उसके ससुराल गई थी।"

15. **<u>पी०डब्लू०–04 रिटायर्ड हेड कांस्टेबल बिजेन्द्र कुमार</u>** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि "दिनांक 27.08.2020 को मै बतौर हैड कांस्टेबल महिला थाना बागपत पर तैनात था। उसी दिन मेरे द्वारा मुकदमा अपराध सं० – 73/2020 की प्रथम सूचना रिपोर्ट शब्द ब शब्द बोलकर महिला कास्टेबल मतमेश द्वारा कम्प्युटर पर अंकित कराई थी। जो मुकदमा वादी की तहरीर के आधार पर कराई गई थी। प्रार्थाना पत्र व खुलासा मुकदमा जी०डी० कायमी मे मेरे द्वारा शब्द ब शब्द बोलकर कम्प्यूटर पर अंकित कराया गया था। पत्रावली पर कागज सं०–4 अ/1 ता 4 अ/2 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वह प्रथम सूचना रिपोर्ट है जो मेरे द्वारा वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर बोलकर बोलकर कम्प्युटर पर अंकित कराई गई थी। कागज पर प्रदर्श क–3 डाला गया। पत्रावली पर कागज सं०–5 अ/1 को देखकर साक्षी ने बताया कि यह जी०डी० सं०–18 मुकदमा कायमी मेरे द्वारा बोल बोलकर कम्प्यूटर पर अंकित कराई गई थी, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।"

16. **<u>पी०डब्लू०–05 एस०आई०बेबी</u>** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि "दिनांक 27–08–2020 को मैं महिला थाना बागपत पर तैनात थी। उस दिन मेरे द्वारा मु०अ०सं०–73/2020 की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी थी। दिनांक 27–08–2020 को सी०डी०सं०–01 में नकट रपट, मुकदमा कायमी, बयान एफ०आई०आर० लेखक, एच०सी०पी० 73 बिजेन्द्र कुमार अंकित किये। सी०डी०सं०–02 दिनांक 08–09–2020 को बयान पीडिता, बयान गवाह अंकित, बयान गवाह

श्रीमती सुनीता अंकित किये। सी०डी०सं०–03 दिनांक 18–09–2020 को समझौता हेतु जिला परामर्श प्राधिकरण न्यायालय बागपत को भेजी गयी और सी०डी०सं०–04 दिनांक 10–10–2020 को मा० न्यायालय से प्राप्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र की सी०डी० नकल की गयी। सी०डी० सं०–05 दिनांक 25–10–2020 को अभियुक्त के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु पत्राचार किया गया। सी०डी०सं०–06 दिनांक 31–10–2020 को पत्रावली मीडिएशन सैन्टर से वापिस आयी, सी०डी०नकल की गयी। सी०डी०सं०–07 दिनांक 12–11–2020 को विभागीय कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित। सी०डी०सं०–08 दिनांक 01–12–2020 को अभियुक्त अजीत के बयान हेतु उसके तैनाती स्थल अम्बाला हरियाणा नोटिस भिजवाया। सी०डी०सं०–10 दिनांक 11–01–2021 को किता की गयी, जिसमें बयान गवाह अनीता, बयान गवाह इन्द्रपाल व वादिया की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल पर नक्शा नजरी तैयार किया। सी०डी०सं०–11 दिनांक 29–01–2021 को कम्पनी कमाण्डर कैप्टन औमबीर सिंह द्वारा एक प्रपत्र अजीत की पत्नी पिंकी द्वारा अजीत व उसके परिवार का उत्पीडन करने के सम्बन्ध में अधीनस्थ नायक अजीत के पक्ष में दिया। सी०डी०सं०–12 दिनांक 01–02–2021 को अभियुक्त अजीत के साथी को कोरोना होने के कारण अभियुक्त को 14 दिन के लिए क्वारेंटाईन रखा गया। धारा 41–A दं०प्र०सं० का नोटिस तामील नहीं हो सका। सी०डी०सं०–13 दिनांक 10–02–2021 को धारा 41–A दं०प्र०सं० का नोटिस अभियुक्त अजीत के गांव में तामील नहीं हो सका। दिनांक 01–03–2021 को अभियुक्त अजीत का जमानत प्रार्थनापत्र प्राप्त कर सी०डी० नकल किया गया। दिनांक 03–03–2021 को धारा 354 बी भा०दं०सं० का होना नहीं पाया गया, विलोप किया गया और अभियुक्त अजीत व अमित के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र सं०–38/21 अं०धारा–498A, 506, 376, 511 भा०दं०सं० मा० न्यायालय प्रेषित किया गया। पत्रावली पर मौजूद कागज सं०–6 अ/1 को देखकर कहा कि यह वहीं घटनास्थल का नक्शा नजरी है जो मेरे द्वारा वादिया की निशानदेही पर तैयार किया गया है, जो मेरे हस्तलेख में है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, शिनाख्त करती हूॅ, जिस पर प्रदर्श क–02 डाला गया। पत्रावली पर मौजूद कागज सं०–3 अ/1 ता 3 अ/3 को देखकर कहा कि यह वहीं मूल आरोप पत्र है, जो मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर तैयार कराकर मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया था, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, शिनाख्त करती हूॅ, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।"

17. वर्तमान प्रकरण में अभियोजन के द्वारा अपने प्रकरण को सिद्व करने हेतु कुल 05 साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, जिनमें पी०डब्लू०–01 वादिनी मुकदमा/पीडिता महत्वपूर्ण साक्षी है। पी०डब्लू०–01 के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया गया है तथा कथन किया है कि उसका करीब 14 वर्ष पूर्व घरेलू कार्य को लेकर उसके साथ उसकी सास व पति से कहासुनी हो गई थी, जिससे नाराज होकर पीडिता ने एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र महिला सैल प्रभारी पुलिस क्षेत्राधिकारी जनपद बागपत को दिया था। वह टाईपशुदा प्रार्थना पत्र टाईपकर्ता ने उसे पढकर नहीं सुनाया था। पीडिता ने उसमें कहासुनी की बात लिखवाई थी। आगे कथन किया है कि न तो मेरे कमरे मे मेरा जेठ अमित दिनांक 27.05.2020 को एक बजे दिन के नही आया

और न ही अमित ने मुझसे ये बोला कि मेरी पत्नी अजीत रखता है और मुझसे नाजायज सम्बन्ध बना लो और न ही अमित ने मेरी कोली भरी और न ही मेरे गुप्तांगो मे उंगली डाली और न ही मेरे नाजुक अंगो को भीचा और न ही मेरे कपडे फाडे और न ही मेरे साथ बलात्कार करने का प्रयास किया उस दिन ऐसी कोई घटना नही हुई थी। मै मात्र कहन सुनन की शिकायत करने महिला सैल मे गई थी। पीडिता द्वारा अपने बयान अं०धारा–164 दं०प्र०सं० के सम्बन्ध में कथन किया गया है कि उसने पुलिसवालो के कहने पर यह बयान दिया था। इस प्रकार उक्त साक्षी को अभियोजन की याचना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा पक्षद्रोही घोषित होने के उपरान्त अभियोजन द्वारा पीडिता का प्रतिपरीक्षण किया गया, परन्तु प्रतिपरीक्षण के उपरान्त भी एेसा कोई तथ्य उदघाटित नहीं हुआ जो अभियोजन कथानक का समर्थन करता हो। अभियोजन की और से परीक्षित कराये गये अन्य दो साक्षीगण पी०डब्लू०–02 व पी०डब्लू०–03 द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन के द्वारा पी०डब्लू०–01, 02 व 03 के अतिरिक्त वर्तमान प्रकरण के तथ्यों को सिद्ध करने हेतु कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

18. आपराधिक न्यायशास्त्र के अनुसार किसी अभियुक्त को तभी दोषी माना जा सकता है, जब उसके विरूद्ध ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हो, जिनसे केवल एक ही निष्कर्ष निकलता हो कि अभियुक्त द्वारा ही कथित अपराध कारित किया गया है। यदि अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत साक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होता है तो उसका लाभ निःसंदेह अभियुक्त को जाता है। वर्तमान प्रकरण में पी०डब्लू०–01 ही एकमात्र महत्वपूर्ण साक्षी है जो घटना के सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष सत्य को प्रकट कर सकती है, परन्तु पीडिता/पी०डब्लू०–01 द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन के द्वारा अन्य कोई ऐसा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा अपराध अं०धारा–498A, 506, 376/511 भा०दं०सं० कारित किया गया है।

19. अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्तगण अजीत व अमित के विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य प्रकट नहीं हुआ है जिससे न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियुक्तगण के द्वारा अपराध अं०धारा– 498A, 506, 376/511 भा०दं०सं० कारित किया गया है। अतः साक्ष्य के अभाव में वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त अजीत के विरूद्ध विरचित आरोप अपराध अं०धारा–498A, 506 भा०दं०सं० व अभियुक्त अमित के विरूद्ध विरचित आरोप अपराध अं०धारा–498A, 506, 376/511 भा०दं०सं० के लिए दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

वर्तमान सत्र परीक्षण संख्या–360/2023, मु०अ०सं०–73/2020, थाना महिला थाना बागपत, जनपद बागपत के मामले में **अभियुक्त अजीत** को आरोप अन्तर्गत धारा– 498A, 506 भा०दं०सं० व **अभियुक्त अमित** के विरूद्ध विरचित आरोप अपराध

अं०धारा–498A, 506, 376/511 भा०दं०सं० के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है।

धारा–437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि नवीन जमानतनामें व बंधपत्र एक सप्ताह के अन्दर दाखिल कर दें जो निर्णय की तिथि से 06 माह तक प्रभावी रहेगें।

अभियुक्तगण जमानत पर है। अभियुक्तगण के जमानतनामे व बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा जमानतियों को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनाँक: 06–03–2026

(नीरू शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय संख्या– 01,
बागपत।
जे०ओ०कोड–यू०पी० 2718

उक्त निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनाँकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनाँक: 06–03–2026

(नीरू शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय संख्या– 01,
बागपत।
जे०ओ०कोड–यू०पी० 2718